

विषय-हिन्दी,अंग्रेजी,उर्दू,संस्कृत,गणित
कविप्रिय,विज्ञान,कला,संगीत,शारीरिक-
नैतिक शिक्षा,पर्यावरणीय शिक्षा.



बाल अधिकार

- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पढ़ाई के वि. में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- कक्षा 1-8 तक के पेटिशन फीस एवं अन्य शुल्क प्रतिबंधित।
- 6-14 वर्ष के विद्यालय नये बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार।
- प्रवेश के लिए जन्म/आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
- सक विरुद्ध शिक्षा के अधिकार और स्थानांतरण का अधिकार।
- बच्चों को विद्यालय न निकाले जाने पर रोक, बर्खास्त नहीं।
- कक्षा 1-8 में एक-एक छात्र छात्रा के लिए एक शिक्षक होना।
- स्वच्छता के लिए पुरुष-पुष्पक शौचालय।
- शारीरिक शिक्षा के लिए खेल-क्रीडा के उपकरण होना।
- अलायन के बच्चों से भेदभावपूर्ण/अन्यायवादी शिक्षा नहीं।
- वि. भवन।
- बैठकें लगाए।
- रिक्त स्थानों में शिक्षा के अधिकार को शिक्षा में संयोजित।
- श्री विरुद्ध शिक्षा में।



GPS Map Camera

Sunara Buzurg, Uttar Pradesh, India

Unnamed Road, Sunara Buzurg, Uttar Pradesh 242401, India

Lat 28.075957°

Long 80.054737°

18/10/23 02:13 PM GMT +05:30

Google

मान्य विषय-हिन्दी,अंग्रेजी,उर्दू,संस्कृत,गणित
सामाजिक विषय,विज्ञान,कला,संगीत,शारीरिक-
शिक्षा,नैतिक शिक्षा,व्यवस्थायी शिक्षा,

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
जनता के पाने एवं स्वच्छता के अधिकारों को सुनिश्चित करना

जल जीवन मिशन - "हर घर जल"

की समस्त आगत प्रयोजनों के समस्त प्राथमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता क्लब का गठन एवं ड्राईगन प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन।

जनपद- शाहजहाँपुर

का नाम सुनारा बुर्ग
के जिला विद्यालय का नाम प्रा. विद्यालय चुरहा
का नाम पुवाया

संस्था : वेल्फेयर एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर ऑफ़ ग्रीडी ग्रामीण सोसाइटी, लखनऊ उ.प्र.

मा. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
मा. स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री, उ.प्र.

बाल अधिकार

6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पढ़ेसके वि. में निःशुल्क और-
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
कक्षा 1-8 तक के पिटेसन फीस एवं अन्य शुल्क प्रतिबंधित।
6-14 वर्ष के विद्यालय नये बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में-
प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार।
प्रवेश के लिए जन्म/आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
सक वि.से दूसरे वि. में किसी भी स्थानांतरण का अधिकार।
बच्चों को कक्षा में रोके जाने, वि.से निकाले जाने पर रोक,बेईफीसा नहीं।
कक्षा में सभी बच्चों को गरम पका-पकाया आन्ध भोजन।
स्वच्छ जल और बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शौचालय।
शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना पर रोक।
अलग-अलग एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों से भेदभावपूर्ण/अलगवारी-
बाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सहायक सामग्री-
निःशुल्क व्यवस्था।
गैर लिंग आधारित व्यवहार/भेदभाव रोकित ब.ता.मण।
स सामाजिक एवं संस्कृतिक कोटन बांधी नहीं।
नी फार्म। पक्का सुरक्षित वि. भवन।
शिक्षण। वि.के संचालन हेतु संचालन जांच।
टीनेन्स गण्ड। पिछड़े 146 विकास क्षेत्रों में-
यत बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा-
परवा गौधी बालिका वि.के संचालन।
बच्चों के लिए 10 गांव के आवासीय शौचालय संचालन।



GPS Map Camera

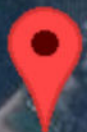
Sunara Buzurg, Uttar Pradesh, India

Unnamed Road, Sunara Buzurg, Uttar Pradesh 242401, India

Lat 28.075957°

Long 80.054737°

18/10/23 01:58 PM GMT +05:30



Google

सामाजिक विषय, विज्ञान, कला, संगीत, शारीरिक-शिक्षा, नैतिक शिक्षा, 'पर्यावरणीय शिक्षा'।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
 जल जीवन मिशन - "हर घर जल"

मा. नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री
 मा. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

जलपत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त प्राथमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता-कलश का गठन एवं झंडा प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन।

आहवाजहौपुर

प्रा. वि. धरहा

स्वातंत्र्य देव सिंह जल सचिव, नदी, अ.प्र.

बाल अधिकार

- 6 से 14 वर्ष के सभी - अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- कक्षा 1-8 तक के पेटिशन फीस एवं अन्य शुल्क प्रतिवर्षित।
- 6-14 वर्ष के विद्यालय न जाने बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार।
- प्रवेश के लिए जन्म/आयु प्रमाण पत्र की मांग नहीं।
- एक बिलोद्वारे वि. में जमी भी स्थानांतरण का अधिकार।
- बच्चों को कक्षा में रोके जाने, वि. से निकाले जाने पर रोक नोटिफाई नहीं।
- 1-8 के सभी बच्चों को गर्म पका-पकाया भोजन/आहार प्रदान करने का अधिकार।
- पेयजल और बालक-बालिका के लिए पुष्प-पत्रक प्रकाशन।
- एक दण्ड न मानसिक प्रताड़ना पर रोक।
- सित समूह एवं दुर्गम वर्ग के बच्चों से भेदभावपूर्ण/अलग-अलग नहीं।
- अव्यक्तता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सहायक-सामग्री-आदि की नि:शुल्क व्यवस्था।
- धार्मिक अथवा लिंग आधारित भेदभाव/विचारधारा।
- आने के लिए सामाजिक-स्वतंत्र-सहज-कारण बनाने।
- बच्चों को स्व-युनीफार्म।
- एकका सुरक्षित वि. भवन।
- आपको द्वारा शिक्षण।
- वि. के संगठन, हेतु रोकें गारंटी।
- वि. हेतु मैनोनेनस-गारंटी।
- पिछले 746 विकास संपत्ति में-आने वाली बालिकाओं के लिए कक्षा 1-8 तक की शिक्षा-प्रतियोगिता-गो-धी बालिका वि. का संचालन।
- आयु 10 वर्ष के बच्चों के लिए 10 माह के अवकाशिक-मैनिफेस्टो संचालन।

एक शिक्षक (हरी शर्ट) और एक महिला (लाल साड़ी) बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

तीन बच्चे खड़े हैं और पत्र पढ़ रहे हैं। अन्य बच्चे बैठे हैं।

मान्य विषय-हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित
सामाजिक विषय, विज्ञान, कला, संगीत, शारीरिक-
शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा.

जीवों पर दया व

मा. नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

मा. योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

लक्षादि गंभे-एस् लांभीण जलापूर्ति विभाग)

જીવન મિશન - “હર ઘર જલ”

जनपद में ग्राम पंचायतों के समस्त प्राथमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता क्लब का गठन एवं ड्राइंग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन।

जनपद- शाहजहाँपुर

सुनराबुजुर्ग

पल्लव का नाम

प्रवाया

। : वेल्फेयर एण्ड इलस्ट्रेशन ऑफ बीडी ग्रामीण सोसाईटी, लखनऊ: उ.प्र

भा. रयतंत्र देव सिंह
जगत शक्ति मंत्री, उ.प्र.

1 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक वि. में
 अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
 कक्षा 1-8 तक के एडिटेशन फीस एवं अन्य शुल्क प्र.
 6-14 वर्ष के विद्यार्थी नये बच्चों की आयु के अ.
 प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार।
 प्रवेश के लिए जन / आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
 एक वि. से दूसरे वि. में किसी भी स्थानांतरण का अधिकार।
 बच्चों को कक्षा में रोके जाने, वि. से निकाले जाने पर न.
 कक्षा 1-8 के सभी बच्चों को गर्म पका-पकाया भोजन।
 स्वच्छ पेयजल और बालक-बालिका हेतु प्र. के-प.
 शारीरिक ढण्ड व मानसिक प्रताड़ना पर रोक।
 अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों से भेदाभाव प्र.
 व्यवहार वर्जित।
 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सह.
 संयुक्त प्र. आदि की नि:शुल्क व्यवस्था।
 वि. में जाति वर्ग, धर्म, अंधा लिंग आदि तत्वों पर आधारित भेदाभाव वि.
 बच्चों के वि. आने के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कोष प्र.
 अन्य सुविधाएं।
 नि:शुल्क किताबें एवं यूनोफार्म। पक्का सुरक्षित म.
 प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण। वि. के संगठन हेतु
 वि. के स्वरूप हेतु मेट्रीनेन्स गण्ट। सिधु 745 वि.
 विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए कक्षा 1 से 8
 के लिए आवासीय कस्टरबोर्नी की बालिका वि. की संचाल.
 दृष्टि एवं अंधा गण्ट ग्राम बच्चों के लिए 10 माह के आवासीय शाला

 कक्ष

बाल अधिकार



- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को खोस के दि में निशुल्क और-
-अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- कक्षा 1-8 तक के एडिशनल फीस एवं अन्य शुल्क प्रतिबंधित।
- 6-14 वर्ष के विद्यालय न जाने बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में-
-प्रवेश व विशेष परीक्षा का अधिकार।
- बालों की बाध्यता नहीं।
- बालों का अधिकार।
- बालों को कालेज जाने पर रोक, रोड सीट नहीं।
- कम-पकाया, अशुद्ध भोजन।
- बालों को हित, पृथक-पृथक शौचालय।
- बालों को रोक।
- बालों को स्वयं पूर्ण /अलग बाबादी-
- बालों को हाथक रसामची-
- बालों को रोकित बालवर्ष।
- बालों को रोक बाबा नहीं।
- बालों को रोकित वि. भवन।
- बालों को रोकित रोकित गांव।
- 24x7 विकास स्वयंसेवकों ने-
- कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा-
- को रोकित।
- को रोकित।

